झारखंड विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2003

[सभा द्वारा यथा पारित]

विषय सूची

धाराएं ।

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ ।

2. 2003-2004 वर्ष के लिये झारखंड राज्य की संचित निधि में से 94,89,31,96,000 रुपये की निकासी ।

3. विनियोग-1

अनुसूची ।

झारखंड विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2003

[सभा द्वारा पारित]

झारखंड राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में झारखंड राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम,विस्तार और प्रारम्भ - (i) यह अधिनियम झारखंड विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2003 कहा जा सकेगा ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा ।

(iii) यह 1 अप्रैल 2003 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. 2003-2004 वर्ष के लिए झारखंड राज्य की संचित निधि में से 94,89,31,96,000 रूपये की निकासी । झारखंड राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं के बारे में, 1 अप्रैल, 2003 को शुरू होनेवाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 94,89,31,96,000 (नौ हजार चार सौ नवासी करोड़ एकतिस लाख छियानब्बे हजार) रूपये की, जो अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित राशियों से अधिक न होंगे, निकासी की जा सकगी ।

3. विनियोग - इस अधिनियम के द्वारा झारखंड राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 1 अप्रैल, 2003 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष से 31 मार्च, 2004 तक संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके सम्बन्ध में विनियोजित की जायेंगी ।

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनाधिक राशियाँ		योग
			झारखंड विधान सभा द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	
1	2	3	4	5	6
01	कृषि विभाग	राजस्व पूंजी	1354088000 100000	— —	1354188000
02	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	राजस्व पूंजी	553497000 —	— —	553497000
03	भवन निर्माण विभाग	राजस्व पूंजी	551418000 445000000	— —	996418000
04	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	राजस्व पूंजी	54551000 —	— —	54551000
05	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व पूंजी	— —	19331000 —	19331000
06	निर्वाचन	राजस्व पूंजी	107082000 —	— —	107082000
07	निगरानी	राजस्व पूंजी	31838000 —	— —	31838000
08	नागरिक विमानन विभाग	राजस्व पूंजी	307964000 —	— —	307964000
09	सहकारिता विभाग	राजस्व पूंजी	274136000 100000	— —	274236000
10	उर्जा विभाग	राजस्व पूंजी	926386000 2358200000	— —	3284586000
11	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व पूंजी	67587000 —	500000 —	68087000
12	वित्त विभाग	राजस्व पूंजी	227671000 100000000	— —	327671000
13	ब्याज संदाय	राजस्व पूंजी	— —	9904399000 —	9904399000
14	ऋण की वापसी अदायगी	राजस्व पूंजी	— —	— 6315773000	6315773000
15	पेंशन	राजस्व पूंजी	9050670000 —	40000 —	9050710000
16	राष्ट्रीय बचत	राजस्व पूंजी	22376000 —	— —	22376000
17	वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	राजस्व पूंजी	150817500 —	— —	150817500
18	खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	राजस्व पूंजी	219611000 —	— —	219611000
19	वन एवं पर्यावरण विभाग	राजस्व पूंजी	2465562000 —	— —	2465562000

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनाधिक राशियाँ		योग
			झारखंड विधान सभा द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	
1	2	3	4	5	6
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	राजस्व	3400751000	—	3887870000
		पूंजी	487119000	—	
21	उच्च शिक्षा विभाग	राजस्व	1377216000	—	1377216000
		पूंजी	—	—	
22	गृह विभाग	राजस्व	6227843000	—	6227843000
		पूंजी	—	—	
23	उद्योग विभाग	राजस्व	1122238000	—	1122338000
		पूंजी	100000	—	
24	सूचना एवं जन संपर्क विभाग	राजस्व	67345000	—	67345000
		पूंजी	—	—	
25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	राजस्व	25537000	—	42737000
		पूंजी	17200000	—	
26	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	राजस्व	411379000	—	411379000
		पूंजी	—	—	
27	विधि विभाग	राजस्व	500928000	—	500928000
		पूंजी	—	—	
28	झारखंड उच्च न्यायालय	राजस्व	—	66855000	66855000
		पूंजी	—	—	
29	खनन एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	128766000	—	128766000
		पूंजी	—	—	
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	8171000	—	150171000
		पूंजी	142000000	—	
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	4315000	—	4315000
		पूंजी	—	—	
32	विधान मंडल	राजस्व	122618000	1026000	123644000
		पूंजी	—	—	
33	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	29843000	—	29843000
		पूंजी	—	—	
34	झारखंड लोक सेवा आयोग	राजस्व	—	67859000	67859000
		पूंजी	—	—	
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	89377000	—	89377000
		पूंजी	—	—	
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	1011323000	—	3226323000
		पूंजी	2215000000	—	
37	राजभाषा विभाग	राजस्व	42504500	—	42504500
		पूंजी	—	—	
38	निबंधन विभाग	राजस्व	44347000	—	44347000
		पूंजी	—	—	
39	सहाय्य एवं पुर्नवास विभाग	राजस्व	345652000	—	345652000
		पूंजी	—	—	

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

योग	मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनाधिक राशियाँ		
				झारखंड विधान सभा द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
6	1	2	3	4	5	6
7870000	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व पूंजी	1121794000 1000	— —	1121795000
7216000	41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व पूंजी	719235000 2101400000	— —	2820635000
7843000	42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व पूंजी	9524306000 5299788000	— —	14824094000
22338000	43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व पूंजी	495565000 50000000	— —	545565000
67345000	44	माध्यमिक,प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग	राजस्व पूंजी	11427399000 —	— —	11427399000
42737000	45	ईख विभाग	राजस्व पूंजी	— —	— —	—
111379000	46	पर्यटन विभाग	राजस्व पूंजी	186146000 12000000	— —	198146000
300928000	47	परिवहन विभाग	राजस्व पूंजी	527337000 20600000	— —	547937000
66855000	48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व पूंजी	325990000 1124600000	— —	1450590000
128766000	49	जल संसाधन विभाग	राजस्व पूंजी	220696000 3010000000	— —	3230696000
150171000	50	लघु सिंचाई विभाग	राजस्व पूंजी	260107000 262500000	— —	522607000
4315000	51	कल्याण विभाग	राजस्व पूंजी	4049683000 —	— —	4049683000
123644000	52	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व पूंजी	150959000 537080000	— —	688039000
29843000		योग राजस्व योग पूंजी		**60334625000** **18182788000**	**10060010000** **6315773000**	**94893196000**
67859000		महायोग		**78517413000**	**16375783000**	**94893196000**
89377000						
3226323000						
42504500						
44347000						
345652000						

यह विधेयक झारखंड विनियोग (संख्यां-2) विधेयक, 2003 दिनांक 27 मार्च 2003 को झारखंड विधान-सभा में उपस्थापित हुआ और दिनांक 27 मार्च, 2003 को सभा द्वारा पारित हुआ।

यह एक धन-विधेयक है।

(इन्दर सिंह नामधारी)
अध्यक्ष

उद्देश्य और हेतु

राज्य की संचित-निधि से कोई राशि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-204 के उपबंधों के अधीन निर्मित विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं । ऐसी विधि में यह व्यवस्था रहेगी कि :-

(क) विधान-सभा द्वारा किये गये अनुदानों, और

(ख) राज्य की संचित-निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित कुल राशि राज्य की संचित-निधि में से विनियोजित की जायगी ।

वर्तमान विधेयक का उद्देश्य है कि राज्य की संचित-निधि में से 94,89,31,96,000 रूपये की राशि जिसका शोधन और विनियोग प्राधिकृत किया जाय ताकि इक्तीसवीं मार्च 2004 को समाप्त होनेवाले वर्ष में शोधन के दौरान में आनेवाले भारों की पूर्ति की जा सके ।

(मृगेन्द्र प्रताप सिंह)
भार-साधक सदस्य

झा०रा०मु०राँची (वित्त)29--300--25-2-2003--ऑफसेट ।